IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में बाल अपराध

नीरज कुमार राय

सहायक प्रोफेसर (समाजशास्त्र)

राजकीय महिला महाविद्यालय ढिंढुईए पट्टी (प्रतापगढ़)

सारांश : भारत मे बाल अपराध की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है स विविध रिपोर्ट भी यही सपष्ट करते हैं स शहर इसकी बढ़ती दर से ज्यादा चिंतित हैं और चिंता का कारण तेजी से बदलता जीवन परिवेश हैं जो एक अबोध बालक को कहीं न कहीं अपराधी बनाने का विशेष उत्तरदायी कारण हैं स अगर सचेत नहीं हुए तो आने वाला भविष्य काफी संकटकारी होगा स प्रस्तुत शोधपत्र द्वितीयक स्रोतों पर आधारित हैं स

मुख्य शब्द :- बाल अपराधए पारिवारिक वातावरणए लूटमारए सेंधमारए हत्याए डकैती स

भारतीय समाज में बाल अपराध की दर दिनोदिन बढ़ती जा रही हैए साथ ही इसकी प्रकृति भी जटिल होती जा रही है। इसका कारण है कि वर्तमान समय में नगरीकरण तथा औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने एक ऐसे वातावरण का सृजन किया है जिसमें अधिकांश परिवार बच्चों पर नियंत्रण रखने में असफल सिद्ध हो रहे हैं। वैयक्तिक स्वंतत्रता में वृद्धि के कारण नैतिक मूल्य बिखरने लगे हैंए इसके साथ ही अत्यधिक प्रतिस्पर्धा ने बालकों में विचलन को पैदा किया है। कम्प्युटर और इंटरनेट की उपलब्धता ने इन्हें समाज से अलग कर दिया है। फलस्वरूप वे अवसाद के शिकार होकर अपराध में लिप्त हो रहे हैं। सन् 2000 के आँकड़ों के अनुसार भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत कुल 9,267 मामले पंजीकृत किये गये तथा स्थानीय एवं विशेष कानून के अन्तर्गत 5,154 मामले पंजीकृत किये गये। बाल अपराध की दर में विभिन्न वर्षो में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। 1997 में बालकों में अपराध की दर 0.8 प्रतिशत थीए वही बढ़कर सन् 1998 में 1,0 प्रतिशत था इसके पश्चात् सन 1999-200 मे 0.9 प्रतिशत रही। बालकों द्वारा किये गये अपराधों मे से भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत सबसे अधिक सम्पत्ति सम्बन्धी थे। सन् 2000 में दण्ड संहिता के अन्तर्गत कुल संज्ञेय अपराधों में से चोरी (2,385)ए लूटमार (1,497) तथा सेंधमारी (1,241) के मामले पाये गयेए इसके अलावा लैंगिक उत्पीड़न के (51.9)ए डकैती के (32 प्रतिशत)ए हत्या के (28.6 प्रतिशत)ए बलात्कार के (24.5 प्रतिशत) मामले पाये गये। भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत बाल अपराध की सर्वाधिक दर मध्यप्रदेश में 2,681 और महाराष्ट्र में (1,641) पायी गयी। इसी प्रकार महानगरों जैसे बम्बईए दिल्ली में भी बाल अपराध की उच्च दर पायी गयी।राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्यूरो(एनसीआरबी) द्वारा जारी

हालिया आंकड़ों के मुताबिकए 2015 और 2016 के बीच भारत में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में 11 फीसदी की तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इन्हीं आंकड़ों के मुताबिकए देशभर में बच्चों के खिलाफ अपराध में 12,786 मामलों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।बच्चों के खिलाफ अपराध का आंकड़ा 2015 में जहां 94172 थाए वहीं 2016 में यह आंकड़ा 106958 तक पहुंच गया। हालांकिए एक गैर सरकारी संगठन चाइल्ड राइट ऐंड यू (सीआरवाई) के मुताबिक यह एक चौंकाने वाला आंकड़ा नहीं है। आंकड़ों के मुताबिकए पिछले एक दशक(2006 में 18ए 967 और 2016 में 1,06ए 958एद्ध की अवधि में 500 फीसदी से ज्यादा की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ यह एक स्थिर वृद्धि दर को दर्शाता है।

जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून-विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कानूनी विरोधी कार्य है जिसे कानूनी कार्यवाही के लिये बाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 (संशोधित 2000) के अनुसर 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। बाल अपराध की अधिकतम आयु सीमा अलग-अलग राज्यों मे अलग-अलग है। इस आधार पर किसी भी राज्य द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत बालक द्वारा किया गया कानूनी विरोधी कार्य बाल अपराध है।बाल अपराधियों की संख्या गावों की अपेक्षा शहरों में अधिक है. जहाँ तक इनके दण्ड की बात है तो कोर्ट यह मानता है कि इस उम्र के बच्चे अगर जल्दी बिगड़ते हैं और उन्हें अगर सुधारने का प्रयत्न किया जाए तो वह सुधर भी जल्दी जाते हैंए इसीलिए उन्हें किशोर न्याय सुरक्षा और देखभाल अधिनियम 2000 के तहत सजा दी जाती है. केवल आयु ही बाल अपराध को निर्धारित नहीं करती वरन् इसमें अपराध की गंभीरता भी महत्वपूर्ण पक्ष है. 7 से 16 वर्ष का लड़का तथा 7 से 18 वर्ष की लड़की द्वारा कोई भी ऐसा अपराध न किया गया हो जिसके लिए राज्य मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास देता है जैसे हत्याए देशद्रोहए घातक आक्रमण आदि तो वह बाल अपराधी मानी जायेगा.

केवल आयु ही बाल अपराध को निर्धारित नहीं करती वरन् इसमें अपराध की गंभीरता भी महत्वपूर्ण पक्ष है। 7 से 16 वर्ष का लड़का तथा 7 से 18 वर्ष की लड़की द्वारा कोई भी ऐसा अपराध न किया गया हो जिसके लिए राज्य मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास देता है जैसे हत्याए देशद्रोहए घातक आक्रमण आदि तो वह बाल अपराधी मानी जायेगा। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बाल अपराध के लिये आयु को अधिक महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि व्यक्ति की मानसिक एवं सामाजिक परिपक्वता सदा ही आयु से प्रभावित नहीं होतीए अतः कुछ विद्वानए बालक द्वारा प्रकट व्यवहार प्रवृति को बाल अपराध के लिए आधार मानते हैंए जैसे आवारागर्दी करनाए स्कूल से अनुपस्थित रहनाए माता-पिता एवं संरक्षकों की आज्ञा न माननाए अश्लील भाषा का प्रयोग करनाए चरित्रहीन व्यक्तियों से संपर्क रखना आदि। किन्तु जब तक कोई वैध तरीका सर्वसम्मिति से स्वीकार नहीं कर लिया जाता तब तक आयु को ही बाल अपराध का निर्धारक आधार माना जायेगा। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक बाल अपराधी वह व्यक्ति है जिसके व्यवहार को समाज अपने लिए हानिकारक समझता है और इसलिए वह उसके द्वारा निषिद्ध होता है। इस प्रकार बाल अपराध में बालको के असामाजिक व्यवहारों को लिया जाता है अथवा बालकों के ऐसे व्यवहारा का जो लोक कल्याण की दृष्टि से अहितकर होते हैंए ऐसे कार्यों को करने वाला बाल अपराधी कहला ता है। रॉबिन्सन के अनुसार आवारागर्दीए भीख माँगनाए निरूद्देश्य इधर-उदर घूमनाए उदण्डता बाल अपराधी के लक्षण है। उपयुर्क्त परिभाषाओं के आधार पर कानून की अवज्ञा करने वाला एवं समाज विरोधी आचरण करने वाला बालक बाल अपराधी होता है जैसा कि न्यूमेयर का कहना है कि बाल अपराधी एक निश्चित आयु से कम वह व्यक्ति है जिसने समाज विराधी कार्य किया है तथा जिसका दुर्व्यवहार कानून को तोड़ने वाला है।

मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय अध्ययनों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि मनुष्य में अपराधवृत्तियों का जन्म बचपन में ही हो जाता है। यह तथ्य प्रकट हुआ है कि सबसे अधिक और गंभीर अपराध करनेवाले किशोरावस्था के ही बालक होते हैं। इस दृष्टि से किशोर अपराध (जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी) को एक महत्वपूर्ण कानूनीए सामाजिकए नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में देखा जाने लगा है। किशोर अपराधों का स्वरूप सामान्य अपराधों से भिन्न होता है। कानूनी शब्दावली में देश के निर्धारित कानूनों के विरुद्ध आचरण करना अपराध हैए किंतु किशोर अपराध समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक प्रत्यय है। किशोरावस्था में व्यक्तित्व के निर्माण तथा व्यवहार के निर्धारण में वातावरण का बहुत हाथ होता हैय अत: अपने उचित या अनुचित व्यवहार के लिये किशोर बालक स्वयं नहीं वरन् उसका वातावरण उत्तरदायी होता है।

किशोर बालक अपराध क्यों करते हैए इस संबंध में विभिन्न मत हैं। मानवशास्त्रियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अपराध का संबंध वंशानुक्रमए शारीरिक बनावट एवं जातिगत विशेषताओं से है। इसी कारण अपराधी जाति (क्रिमिनल ट्राइब्ज़) के सभी व्यक्ति एक ही जातिगत विशेषताओं और एक सी शारीरिक बनावट के होते हैं तथा वे एक सा अपराध करते हैं। शरीरवैज्ञानिकों का मत भी इसी से मिलता जुलता है। उनके मतानुसार विशेष प्रकार की शारीरिक बनावट और प्रक्रियावाला व्यक्ति विशेष प्रकार का अपराध करेगा। किंतु मनोविज्ञान ने सिद्ध किया है कि अपराध का संबंध न तो उत्तराधिकार से होता है और न शारीरिक बनावट से य उत्तराधिकार में केवल शारीरिक विशेषताएँ ही प्राप्त होती हैंए उनका व्यक्ति की भावनाओंए आकांक्षाओंए प्रवृत्तियों एवं बुद्धि से सीधा संबंध नहीं होता। समाजशास्त्रियों का कथन है कि अपराध का जन्मदाता दूषित वातावरणए यथा-गरीबीए उजड़े परिवारए अपराधी साथी आदि है। किंतु आधुनिक मनोवैज्ञानिक शोधों द्वारा यह जाना गया है कि एक ही वातावरण ही नही वरन् एक ही परिवार में पलेए एक ही मातापिता के बच्चों में से एकआध ही अपराधी होता हैए सभी नहीं। यदि अपराध का जन्मदाता वातावरण होता है तो अन्य भाई बहिनों को भी अपराधी बनना चाहिए। आधुनिक मनोविज्ञान किशोर अपराधों का मूल मनोवैज्ञानिक स्थितियों में ढूँढ़ता है। उसके अनुसार हर बच्चे की कुछ इच्छाएँए आकांक्षाएँ और आवश्यकताएँ होती हैं। उन्हें पूरा करने का वह प्रयत्न करता है। उसके इस प्रयास में अनेक बाधाएँ आती हैंए जिन्हें वह जीतने का प्रयत्न करता है। अपने प्रयत्नों के फल से वह या तो संतुष्ट होता है या असंतुष्ट अथवा उदासीन। किंतु उदासीनता के भाव कम ही हो पाते है। संतोष और असंतोष का संबंध सफलता या उपलब्धि से नहीं हैं वरन् संतोष आपेक्षिक प्रत्यय है। निर्धन किसान अपनी स्थिति में संतुष्ट रह सकता हैय किंतु करोड़पति व्यवसायी नहीं। असंतोष को दूर करने का प्रयास मानव स्वभाव है। इसे दूर करने के समाज द्वारा स्वीकृत ढंग जब असफल हो जाते है तब व्यक्ति ऐसा ढंग अपनाता है जो सफल होए भले ही वह समाज के लिये हानिकर और उसके द्वारा अस्वीकृत ही क्यों न हो। तभी वह अपराधी बन जाता है। यथा---कोई कमजोर विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होने पर अपनी कमजोरी का ध्यान करके अपनी स्थिति में संतुष्ट रह सकता हैय किंतु कक्षा का तेज विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर आत्महत्या तक कर सकता है। प्रश्न संतोष और असंतोष की मात्रा का है। बच्चा चाहे शारीरिक कमजोरी से पीड़ित होए उसकी बुद्धि कम होए उसके माता पिता अपराधी होंए उसका वातावरण खराब होए उसी उपलब्धियाँ निम्न स्तर की होंए फिर भी वह तब तक अपराधी नहीं बनेगाए जब तक कि वह अपनी स्थिति से असंतुष्ट न हो और असंतोष को दूर करने के उसके समाजस्वीकृत प्रयास असफल न हो चुके हों। अपराधी क्षेत्र में निवास का भी अपराधी प्रवृति से घनिष्ठ संबध हैए वेश्याओं के अड्डेए जुआरियोंए शराबियों के पास निवास स्थान होने पर बच्चों के अपराधी होने के अवसर अधिक रहते हैं क्योंकि बच्चों मे अनुकरण एवं सुझाव - ग्रहरणशीलता अधिक होने के कारण अपराधी प्रवृतियों के सीखने की संभावना रहती हैए शॉ और मैनेंने ने यह बताया कि कई स्थान बच्चों को रखने की दृष्टि से सुरक्षित नहीं हैंए शहर केन्द्र एवं व्यापारी क्षेत्र में अपराध अधिक होते हैंए ज्यों-ज्यों शहर के केन्द्र से परिधि की ओर जाते हैं अपराध की दर घटती

जाती हैए हीले एव ब्रोनर की मान्यता है कि अपराध के प्रचलित प्रतिमानों से प्रभावित होकर गंदी बस्तियों के बच्चे अपराध करते हैं। उपयुर्क्त कारकों के अतिक्तिक बाल अपराध के लिए कुछ अन्य कारक भी उत्तरदायी है जैसे मूल्यो के भ्रमए सांस्कारिक भिन्नता एवं संघर्षए नैतिक पतनए स्वंतत्रता में वृद्धिए आर्थिक मन्दी आदि। स्पष्ट है कि बालकको अपराधी बनाने मे किसी एक कारक का ही हाथ नहीं होता वरन् अनेक कारकों की सह-उपस्थितियों ही बालक को अपराधी बनाने में योग देती है। परिणाम समाज तथा व्यक्ति के लिये अहितकर होता है। अत: समाज को इस अहितकर स्थिति से बचाने के लिये मनावैज्ञानिक की सहायता से अभिभावकों तथा अध्यापकों को यह देखना होगा कि बच्चे के अपराधी आचरण की कारणभूत कौन सी असंतोषजनक स्थितियाँ विद्यमान है। रोग के कारण को दूर कर दीजिएए रोग दूर हो जाएगाए यह चिकित्साशास्त्र का सिद्धांत है। अपराधी व्यवहार भी सामाजिक रोग हे। इसके कारण असंतोषजनक स्थिति को दूर करने पर अपराधी व्यवहार स्वयं समाप्त हो जाएगा और अपराधी बालक बड़ा बनकर समाज का योग्य सदस्य तथा देश का उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक बन सकेगा।

बाल अपराध को रोकने के उपाय

बाल अपराधों को रोकने के लिये वर्तमान में दो प्रकार के उपाय किये गए हैं प्रथम उनके लिए नए कानूनों का निर्माण किया गया है ओर द्वितीय सुधार संस्थाओं एव स्कूलों का निर्माण किया गया है जैसे उन्हें रखने की सुविधाएँ हैंए यहाँ हम दोनों प्रकार के उपायों का उल्लेख करेंगे।

कानूनी उपाय

बाल अपराधियों को विशेष सुविधा देने ओर न्याय की उचित प्रणाली अपनाने के लिये बाल-अधिनियम और सुधारालय अधिनियम बनाए गए है। भारत मे बच्चों की सुरक्षा के लिए 20वीं सदी की दूसरी दशाब्दी में कई कानून बनें सन् 1860 में भारतीय दण्ड संहिता के भाग 399 व 562 में बाल अपराधियों को जेल के स्थान पर रिफोमेट्रीज में भेजने का प्रावधान किया गया। दण्ड विधान के इतिहास में पहली बार यह स्वीकार किया कि बच्चों को दण्ड देने के बजाच उनमें सुधार किया जाए एवं उन्हें युवा अपराधियों से पृथक रखा जाए।

संपूर्ण भारत के लिए सन् 1876 में सुधारालय स्कूल अधिनियम बना जिसमें 1897 में संशोधन किया गयाए यह अधिनियम भारत के अन्य स्थानों पर 15 एवं बम्बई में 16 वर्ष के बच्चों पर लागू होता थाए इस कानून में बाल-अपराधियों को औद्योगिक प्रशिक्षण देने की बात भी कही गयी थीए अखिल भारतीय स्तर के स्थान पर अलग-अलग प्रान्तों मे बाल अधिनियम बनेए सन् 1920 में मद्रासए बंगालए बम्बईए दिल्लीए पंजाब में एवं 1949 में उत्तरप्रदेश मै और 1970 में राजस्थान मे बाल अधिनियम बनेए बाल अधिनियमों में समाज विरोधी व्यवहार व्यक्त करने वाले बालकों को प्रशिक्षण देने तथा कुप्रभाव से बचाने के प्रयास किये गएए उनके लिये दण्ड के स्थानपर सुधार को स्वीकार किया गया। 1986 में बाल न्याय अधिनियम पारित किया गया जिसमें सारे देश में एक समान बाल अधिनियम लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार 16 वर्ष की आयु से कम के लड़के व 18 वर्ष की आयु से कम की लड़की द्वारा किए गए कानूनी विरोधी कार्यो को बाल अपराध की श्रेणी में रखा गया। इस अधिनियम में उपेक्षित बालकोंं तथा बाल अपराधियों को दूसरे अपराधियो के साथ जेल मे रखने पर रोकलगा दी गईए उपेक्षित बालकों को बाल गृहों का अवलोकन गृहों में रखा जाएगा। उन्हें बाल कल्याण बोर्ड के समक्ष लाया जाएगा जबकि बाल अपराधियों को बाल न्यायलाय के समक्ष। इस अधिनियम में राज्यों को कहा गया कि वे बाल अपराधियों के कल्याण और पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे।

बाल न्यायालय

भारत में 1960 के बाल अधिनियम के तहत बाल न्यायालय स्थापित किये गये है। सन् 1960 के बाल अधिनियम का स्थान बाल न्याया अधिनियम 1986 ने ले लिया है। इस समय भारत के सभी राज्यों मे बाल न्यायालय है। बाल न्यायालय मे एक प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेटए अपराधी बालकए माता-पिताए प्रोबेशन अधिकारीए साधारण पोशक मे पुलिसए कभी-कभी वकील भी उपस्थित रहते हैंए बाल न्यायालय का वातावरण इस प्रकार का होता है कि बच्चे के मष्तिष्क में कोर्ट का आंतक दूर हो जाएए ज्यों ही कोई बालक अपराध करता है तो पहले उसे रिमाण्ड क्षेत्र में भेजा जाता है और 24 घंटे के भीतर उसे बाल न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता हैए उसकी सुनवाई के समय उस व्यक्ति को भी बुलाया जाता है जिसके प्रति बालक ने अपराध किया। सुनवाई के बाद अपराधी बालकों को चेतवनी देकरए जुर्माना करके या माता-पिता से बॉण्ड भरवा कर उन्हें सौंप दिया जाता है अथवा उन्हें परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाता है या किसी सुधा र संस्थाए मान्यता प्राप्त विद्यालय परिवीक्षा हॉस्टल में रख दिया जाता है।

सुधारात्मक संस्थाएँ

बाल अपराधियों को रोकने का दूसरा प्रयास सुधारात्मक संस्थाओं एवं सुधरालयों की स्थापना करने किया गया है जिनमें कुछ समय तक बाल अपराधियों को रखकर प्रशिक्षण दिया जाता हैए हम यहाँ कुछ ऐसी संस्थाओं का उल्लेख करेंगें -

रिमाण्ड क्षेत्र या अवलोकन - जब बाल अपराधी पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है तो उसे सुधारात्मक रख जाता है। जब तक उस पर अदालती कार्यवाही चलती हैए अपराधी इन्हीं सुधरालयों में रहता है। यहाँ पर परिवीक्षा अधिकारी बच्चे की शारीरिक व मानसिक स्थितियों का अध्ययनकरता हैं उन्हें मनोरंजनए शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि दिया जाता है ऐसे गृहों में बच्चें से सही सूचनाएँ प्राप्त की जाती हैं जो वे न्यायाधीश के सम्मुख देने से घबराते है। भारत में दिल्ली एवं अन्य 11 राज्यों में रिमाण्ड होना है। अब इनका स्थान सम्प्रेक्षण गृहों ने ले लिया है।

प्रमाणित या सुधारत्मक विद्यालय - प्रमाणित विद्यालय में बाल अपराधियों को सुधार हेतु रखा जाता है। इन विद्यालयों को सरकार से अनुदान प्राप्त ऐच्छिक संस्थाओं चलाती है। इन स्कूलों में बाल अपराधियों को कम से कम तीन वर्ष और अधिकतम सात वर्ष की अवधि के लिये रखे जाते है। 18 वर्ष की आयु के बाल अपराधी के बोस्टले स्कूल के स्थानान्तरित कर दिये जाते हैं। इन स्कूलों में सिलाईए खिलौने बनानेए चमड़े की वस्तुएँ बनाने और प्रशिक्षण दिया जाताहै। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम दो वर्ष के लिए होता हैए बच्चों को स्कूल से ही कच्चा माल प्राप्त होता है और उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं को बाजार में बेच दिया जाता है और लाभ उसके खाते में जमा कर दिया जाता है। जमा की गई धनराशि एक निश्चित मात्रा तक पहुँचने के बाद स्कूल के बच्चें के केवल राज्य के उपयोग के लिए ही वस्तुओं का उत्पादन करना होता है। बच्चों के 5वें दर्जे तक की बुनियादी शिक्षा भी दी जाती है वर्ष के अन्त में उसको विद्यालय निरीक्षक द्वारा संचालित परीक्षा में भी भाग लेना होता हैं। यदि कोई बाल पाँचवी कक्षा के बाद भी पढ़ना चाहता है तो उसे बाहर के किसी विद्यालय में प्रवेश दिला दिया जाता है।

बोस्टल स्कूल - इस प्रणाली के जन्मदाता एल्विन रेगिल्स ब्रादूस थेए यहाँ उन्हीं बालको को रखा जाता है जिसकी आयु 15 से 21 वर्ष तक की होती है। उन्हें यहाँ प्रशिक्षण एवं निर्देशन दिये जाते हैं तथा अनुशासन में रखकर उसका सुधार किया जाता है। अवधि समाप्त होनेए अच्छे आचरण का आश्वासन देने एवं भविष्य में अपराध न करने का वचन देने पर अपराधी को इस विद्यालय से मुक्त किया जाता है। ये स्कूल अपराधी का समाज से पुनः सांमजस्य कराने में योग देते है।

परिवीक्षा होस्टल - यह बाल अपराधियों के परिवीक्षा अधिनिमय के अन्तर्गत् स्थापित उन बाल अपराधियों के आवासीय व्यवस्था एवं उपचार के लिए होते है जिन्हें परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में परिवीक्षा पर रिहा किया जाता है। परिवीक्षा हॉस्टल निवासियों को बाजार जाने की तथा अपनी इच्छा का काम चुनने

की पूर्ण स्वंतत्रता होती है। विभिन्न देशों की भाँति भारत में भी बाल अपराधियों को सुधारने के लिये प्रयास किये गये हैं और बाल अपराध की पुनरावृति में कमी आयी है फिर भी इन उपायों में अभी कुछ कमियाँ हैं जिन्हें दूर करना आवश्यक है। बालक अपराध की ओर प्रवेश नहीं होए इसके लिए आवश्यक है कि बालकों को स्वस्थ मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराये जाँएए अश्लील साहित्य एवं दोषपूर्ण चलचित्रों पर रोक लगायी जाएए बिगड़े हुए बच्चें को सुधारने में माता-पिता की मदद करने हेतु बाल सलाकार केन्द्र गठित किये जायें तथा सम्बन्धित कार्मिकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाएए संक्षेप मे बाल अपराध की रोकथाम के लिए सरकारी एजेन्सियों शैक्षिक संस्थाओंए पुलिसए न्यायपालिकाए सामाजिक कार्यकताओं तथा स्वैच्छिक संगठनों के बीच तालमेल की आवश्यकता है।

निष्कर्ष : हम कह सकते हैं की बालक जन्म से अपराधी नहीं होता हैं और न ही वो अपराध करने के लिए जन्म लेता हैं । लेकिन परिस्थितिओ का प्रभाव और सामाजिक वातावरण एक मजबूत कारण दिखाई देते हैं किसी बालक को अपराधी बनाने मे स सही दिशा मे परिवार का प्रयास और स्वस्थ सामाजिक वातावरण बालकों का चतुर्दिक विकास कर सकता हैं एक अबोध बालक अपराधी होने से रुक सकता हैं स

संदर्भ :

1 बर्टए सी : दि यंग डेलिंक्वेंट

2 कैरेसियस : जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी ऐंड दि स्कूल

3 हूटन : क्राइम ऐंड दि मैनय

4 इस्लर : सर्चलाइट्स आन् डेलिक्वेंसी

5 हीली ऐंड ब्रानर : न्यू लाइट्स आन डेलिंक्वेंसी ऐंड इट्स ट्रीटमेंट

6 विकिपीड़िया डॉट काम

7 नव भारत टाइम्स डॉट काम (भारत में तेजी से बढ़ रहा बाल है अपराध का ग्राफए एक साल में 11 फीसदी बढ़ोतरी) 2018 मार्च

8 अमर उजाला डॉट काम (दिल्ली बच्चों पर होने वाले अपराधों के मामले में पहले और मुंबई दूसरे स्थान पर) 2020 अगस्त